

प्र. क्र.

sachin jain

निवासी - magardha teh khurai

विरूद्ध

म. प्र. शासन

-----अनावेदक

आवेदन पत्र बंटवारा अंतर्गत धारा 178 म. प्र. भू. रा. सं. 1959

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नवत आवेदन पत्र प्रस्तुत है-

यह कि प्रार्थी के नाम पर ग्राम magardha तहसील khurai में खाता निम्नानुसार है-

सर्व नंबर **10/1 rakwa 0.2, 11 rakwa 0.80** कुल सर्वे नंबर **02** कुल रकबा **1.00** हेक्टेयर

यह कि प्रार्थी ओर विपक्षीगण के मध्य उक्त भूमि के समबन्ध में पूर्व में मौखिक रूप से आपसी बंटवारा हो चुका है ओर उसी अनुसार मोके पर काबीज है लेकिन रिकार्ड में आज तक बंटवारा नहीं हुआ है।

यह कि यह आवेदन पत्र म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहत प्रस्तुत होकर आदरणीय न्यायालय को आवेदन पत्र पर सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम magardha स्थित उपर वर्णित सर्वे नंबर अनुसार मौजा पटवारी से बंटवारा फर्द एवं बटाकन फर्द तलब कर बंटवारा स्वीकृत करने का कष्ट करे।

प्रार्थी

sachin jain

निवासी magardha teh khurai

प्र.क्र.

दिनांक-

कथन

नाम -

पिता का नाम -

जाति -

उम्र -

निवासी -

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मैं magardha teh khurai का होकर मेरे ग्राम **magardha** में भूमि सर्व नंबर **10/1 rakwa 0.2, 11 rakwa 0.80** रकबा **1.00** है।

पूर्व में हमारे द्वारा आपसी पारिवारिक सहमति से बंटवारा कर लिया है तथा मौके पर बंटवारा अनुसार काबिज होकर स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य करते रहे हैं। मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा राजस्व अभिलेख में इंद्राज करने हेतु हमने तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि मौजा पटवारी द्वारा अभिलेख पर जो बंटवारा फर्द प्रस्तुत की गई है, उसे मैंने अच्छी तरह से देखकर समझ ली है व उसी अनुरूप हम काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। मौके पर कब्जा संबंधी हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। मौजा पटवारी द्वारा जो बंटवारा फर्द प्रस्तुत की गई है उसमें मेरी पूर्ण सहमति है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है। कथन जैसा बोले गये वैसे लिखे गये कथन पढ़ाना व सही होने से स्वीकार किये गये।